न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पिठासीन अधिकारी श्री श्योराम वर्मा आर.एस

राजस्व वाद संख्या ....11..../2022

बचनसिंह पुत्र स्व. बालसिंह जाति राजपूत निवासी लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

वादी

बनाम

1 हडमानसिह पुत्र स्व0 बालसिंह जाति राजपूत निवासी लालगढ़ तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

2 श्रीमती गीताकंवर पुत्री स्व. बालसिंह पत्नी श्री छोटूसिहं जाति राजपूत निवासीनी ग्राम लालगढ हाल निवासी झाडेली तहसील जायल जिला नागौर राजस्थान।

3 श्रीमती फूलकंवर पुत्री स्व. बालसिंह पत्नी श्री सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम लालगढ हाल निवासी झाडेली तहसील जायल जिला नागौर राजस्थान।

4 श्रीमती पप्पूकंवर पुत्री स्व0 बालसिंह पत्नी विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम लालगढ हाल निवासीनी ग्राम जालु तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राजस्थान।

5 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला चूरू।

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित 1. विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़ व अमरसिंह राठौड़ वादी कि ओर से।

2 विद्वान अधिवक्ता श्री सुलतान सिंह चौपड़ा प्रतिवादीगण की और से।

निर्णय **दिनांक 12/03/2022**

वाद के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का एक खेत खसरा नम्बर 498 तादादी 5.8679 है0 भूमि वाके रोही ग्राम लालगढ तहसील बीदासर जिला चूरू मे स्थित चला आ रहा है उक्त खेत की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 के पिता बालसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी लालगढ के नाम से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 के पिता बालसिंह का स्वर्गवास हो चूका है तथा वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 की माता श्रीमती केशरकंवर का भी स्वर्गवास हो चूका है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 के माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात वादगत खेत खसरा नम्बर 498 तादादी 5.8679 है0 वाके रोही ग्राम लालगढ़ की भूमि की खातेदारी मे वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 का बहिस्सा बराबर विरास्तन नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे वादगत खेत खसरा नम्बर 498 की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 के नाम से दर्ज नही की गई है। खेत खसरा नम्बर 498 वाके रोही लालगढ की भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 स्वर्गिय बालसिंह के

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वाके रोही लालगढ की भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 स्वर्गीय बालसिंह के जायज वारिसान होने के कारण वादगत भूमि मे वादी कानूनन बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादी ने दिनांक 07/03/2022 को वादगत खेत की खातेदारी वादी के साथ प्रतिवादीगण सं. 01 ता 04 के नाम दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादगत खेत की खातेदारी दर्ज करवाने से इंकार कर दिया है।जिस पर वादी ने यह वाद घोषणात्मक पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया है प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया है तथा पत्रावली रास्ट्रीय लोक अदालत मे दिनांक 12/03/2022 के लिए नियत कि गई।

पत्रावली आज रास्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई वादी व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर लोक अदालत कि भावना से राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद जांच न्यायालय द्वारा तसदीक किया गया। तथा उभयपक्षकारान् ने राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्रि किया जाने का निवेदन किया और कहा की स्व0 बाल सिंह के वादी व प्रतिवादी गण संख्या 1 ता 4 जायज उपराधिकारी है और वादगत खेत खसरा नं. 498 तादादी 5.8679 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम लालगढ कि भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम खातेदारी ब.हि.ब दर्ज की जावे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर राजीनामा पेश किया हुआ है तथा पक्षकारान का राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्रि किया जाना न्यायोचीत ह पक्षकारान् स्व0 बालसिंह के जायज वारिस होने के कारण बालसिंह कि खातेदारी के भूमि खेत खसरा नं. 498 तादादी 5.8679 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम लालगढ कि भूमि मे ब.हि.ब खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

दावा अन्तिम रूप से राजीनामा के मुताबिक डिक्रि किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 स्व0 बालसिंह के जायज वारिस होने के कारण खेत खसरा नं. 498 तादादी 5.8679 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम लालगढ तहसील बीदासर की भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को ब.हि.ब खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 5 को वादगत खेत खसर नं. 498 तादादी 5.8679 हैक्टेयर वाके रोही लालगढ की भूमि की खातेदारी मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे ब.हि.ब दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिक्रि के राजस्व रिकॉड मे अमल दरामद करे, लगान कायम करे तदनुसार र्पचा डिक्रि जारी हो, खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 12/03/2022 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

Scanned by CamScanner